


23.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी में लिगई। प्रार्थीया ने निवेदन किया की मूल वादपत्र खारिज हो गया। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। वादीया के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया के अधिवक्ता द्वारा वादीया की पहचान की गई। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र खारिज होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

